

प्रेषक,

वी० के० शर्मा,

सचिव, वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक-27 अप्रैल, 2001

विषय : टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के परिशिष्ट -गटप्प में दिये गये "भण्डार क्रय नियमों" तथा परिशिष्ट-गप्प में शासन की ओर से "संविदा" अथवा "अनुबंध" किये जाने हेतु अपनाये जाने वाले सामान्य सिद्धान्तों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय कार्यों के सम्पादन में पारदर्शिता लाये जाने की शासन की नीति के अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए :-

(क) टेण्डर सूचना का प्रकाशन तथा टेण्डर डाकूमेंट्स का उपलब्ध कराया जाना-

टेण्डर प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने की दृष्टि से आई०टी० एवं इलैक्ट्रानिक अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या : 1794/70-आई०टी०-2000, दिनांक : 08 नवम्बर, 2000 के बिन्दु संख्या: 17 के अनुसार शासन के विभागों द्वारा जारी टेण्डरों की सूचना तथा टेण्डर फार्म की प्रति पूनच पदविष्वतह की साइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) टेण्डरों को फाइनल किया जाना-

(1) निर्माण कार्यों के कान्ट्रैक्ट तथा सामग्री की खरीद आदि के सम्बन्ध में क्रय अनुबंध किये जाने हेतु प्राप्त टेण्डरों के निविदादाताओं से बातचीत (निगोशियेशन) सामान्यतः न की जाए। यदि निगोशियेशन द्वारा निविदा प्रकरण में संविदा निष्पादित किया जाना अनिवार्य हो तो सभी निविदादाताओं (जो अर्हता क्षेत्र में आते हैं) से बातचीत (निगोशियेशन) की जाये।

(2) जिन मामलों में "टेक्निकल बिड" तथा "फाइनेन्शियल बिड"-दी जानी होती है, उनमें "टेक्निकल बिड" के मूल्यांकन के निष्पक्ष मापदण्ड (आब्जेक्टिव क्राइटेरियन) होने चाहिए। इस सम्बन्ध में विभागों द्वारा मात्रात्मक मूल्यांकन (फनंजपजंपअम मअंसनंजपवद) हेतु मानक मापदण्ड निर्धारित किये जायें। मानक मापदण्डों का उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेण्ट में भी किया जायें। टेक्निकल बिड के मूल्यांकन में

किसी ऐसे बिन्दु या मापदण्ड पर विचार नहीं किया जायेगा जिसका उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेन्ट में न किया गया हो।

(3) टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड की कण्डीशंस अथवा बिड्स के मूल्यांकन के मापदण्ड शिथिल नहीं किये जायें। इनमें कोई परिवर्तन भी अनुमन्य नहीं होगा, इस आशय का उल्लेख टेण्डर नोटिस (एन0आई0टी0) में ही कर दिया जाये।

(4) टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड्स में किसी टेण्डरदाता द्वारा शर्तों की पूर्ति न होने अथवा आब्जेक्टिव मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम मानक तक न पाये जाने की दशा में फाइनैसियल बिड्स पर विचार न किया जाये। टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड के विषय में अन्तिम निर्णय हुये बगैर फाइनैसियल बिड को किसी भी दशा में खोला नहीं जायेगा।

(5) सामग्री/भण्डार के क्रय के सम्बन्ध में तथा निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त टेण्डर के मूल्यांकन की व्यवस्था प्री क्वालीफिकेशन/टेक्निकल बिड के माध्यम से करते हुए न्यूनतम टेण्डर की दर को स्वीकार करते समय टेण्डर समिति/स्वीकर्ता अधिकारी पूर्व अनुभव तथा प्रचलित बाजार मूल्यों को भी यथा सम्भव ध्यान में रखेंगे।

(6) प्राप्त निविदाओं को "फाइनल" करने में नियमों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में अनुमन्य सीमा से अधिक "विचलन" कदापि न किया जाए। पूर्व के किसी अवसर पर प्राप्त टेण्डर के आधार पर पुनः नये कार्यों के लिए आदेश अथवा चालू कार्यों के लिए "रिपीट आर्डर" नहीं दिये जायें। इस सम्बन्ध में स्वीकृत कार्यों को यथा संभव टुकड़ों में न बांटा जाये। यदि ऐसा किया जाये तो उसका कारण उल्लिखित किया जाये।

2. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तर-1 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही में सम्बन्धित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस शासनादेश के द्वारा सम्बन्धित नियमों, एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, अपितु टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है।

भवदीय

वी0 के0 शर्मा

सचिव, वित्त।

संख्या : ए-1-1173(1)/दस-2001-10(55)/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

5. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद ।

6. निदेशक, कोषागार, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,

आर० के० वर्मा

संयुक्त सचिव ।

प्रेषक,

जे०एस०मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,

समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक-27 मई,2002

विषय : सभावित बाढ़/जल भराव से सुरक्षा हेतु पूर्व तैयारियों एवं तत्सम्बन्धी कार्य योजना।

महोदय,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद एवं प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की आवासीय योजनाओं में अतिवृष्टि आदि से जल भराव की समस्या के निदान हेतु पूर्व में ही आवश्यक तैयारी के लिए तत्काल निम्न कार्यवाही की जाय :-

(1) आवास विकास परिषद एवं समस्त विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में बाढ़/जल भराव के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए, तथा सचिव/संयुक्त सचिव/अधिशासी अभियंता स्तर के एक उपयुक्त अधिकारी को इसका प्रभार अधिकारी बनाया जाए। नियंत्रण कक्ष तथा प्रभारी अधिकारी के कार्यालय/आवास के दूरभाष संख्या का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। इसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करा दी जाए।

(2) जल निकासी हेतु अवरोधों को दूर किया जाए। परिषद/प्राधिकरणों द्वारा यह भलीभांति सुनिश्चित करा लिया जाए कि उनकी ऐसी योजनाओं में जो नगर निगम/नगर पालिकाओं को हस्तांतरित नहीं हुई है, नाले नालियों की त्वरित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाए और जहाँ अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण/कब्जा आदि से जल निकासी में अवरोध उत्पन्न हो गया है उन अवरोधों को अविलम्ब हटा दिया जाए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय प्रशासन/पुलिस प्रशासन का सहयोग भी प्राप्त किया जाए और यथा अपेक्षित सहयोग न मिलने पर इसके शासन के संज्ञान में अविलम्ब लाया जाए।

(3) निचले क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से निपटने हेतु पानी की पम्पिंग हेतु पम्पिंग संयंत्रों को तत्काल क्रियाशील कर दिया जाए।

(4) निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए :-

(अ) जल भराव के स्थलों का चिन्हांकन।

(ब) यहाँ की पानी की निकासी के लिए पम्पों को स्थापित कर दिया जाना एवं इनकी सर्विसिंग/ओवरहाल पूरा कर लिया जाना।

(स) इन पर कार्मिकों की शिफ्टवार नियुक्ति कर लिया जाना।

(द) जल भराव के स्थलों के नालों/सपवेलों आदि की सफाई तथा विसंक्रमण के लिए कीटनाशकों का तत्काल छिड़काव तथा आगे के लिए उचित मात्रा में कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

(य) जल भराव के स्रोतों को बन्द करने के लिए संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में बोरियां, बालू पहले ही एकत्रित कर लिया जाना।

(र) प्रभावित क्षेत्रों में पहले से संक्रामक रोगों के बचाव के लिए रोग निरोधक टीकों आदि की व्यवस्था।

5. उक्त समस्त बिन्दुओं पर परिषद/प्राधिकरणों द्वारा प्रत्येक दशा में 20 जून 2002 तक कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाए। प्राधिकरण स्तर पर सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव की देखरेख में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता के नेतृत्व में अधिकारियों की निरीक्षण समिति गठित की जाए, ताकि वे इसका भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट दे सकें। इसी प्रकार आवास विकास परिषद के मामलों में सचिव/संयुक्त आवास आयुक्त की देखरेख में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता के नेतृत्व में भी निरीक्षण समिति गठित की जाए।

6. शासन द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों का अनुपालन एक निश्चित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाए एवं कृत कार्यवाही की पाक्षिक रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाए। इसमें किसी प्रकार, किसी स्तर पर की गयी शिथिलता क्षम्य न होगी एवं इसे सुनिश्चित करने के लिए आवास विकास परिषद एवं प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में उत्तरदायित्व के स्तर लिखित रूप से निर्धारित किए जाए एवं पाक्षिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रकरण को महत्तम गम्भीरता प्रदान की जाए।

भवदीय,

जे०एस०मिश्र

सचिव।

संख्या : 2065 (1)9-आ-1-02-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. समस्त जिलाधिकारी ।
5. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

टी०पी०पाठक

विशेष सचिव ।

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण।
उत्तर प्रदेश।
3. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक-25 जून, 2002

विषय : उ0प्र0 में "आपरेशन ग्रीन" को सफल बनाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3175/9-आ-3-2001-23 विविधि/99 दिनांक 18 जुलाई, 2001 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 में "आपरेशन ग्रीन" को सफल बनाने हेतु प्रदेश में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने, वातावरण को दूषित होने से बचाने, मृदा व जल संरक्षण सुनिश्चित करने तथा वृक्षों एवं वनों से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 तथा राज्य वन नीति 1998 के अनुसार प्रदेश के 1/3 भाग को वनाच्छादित करने का संकल्प प्रदेश सरकार ने लिया है। इस नीति का पालन करते हुए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश में बड़े पैमाने पर हरित अभियान चलाया जा रहा है।

2. उक्त शासनादेश को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए "आपरेशन ग्रीन" अभियान के अन्तर्गत सघन अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि "आपरेशन ग्रीन" को सफल बनाया जा सके।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या व दिनांक—तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन उ0प्र0 शासन को उनके पत्र दिनांक 10 जून, 2002 के सम्बंध में
2. मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,

उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद्

उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक-02 जुलाई, 2002

विषय : पर्यावरण सुधार एवं वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 06 जून, 2002 को सम्पन्न हुयी समीक्षा बैठक में सचिव आवास ने अपेक्षा की थी कि आवास एवं विकास परिषद् तथा सभी विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनी योजनाओं में तथा शहर के अन्य सार्वजनिक खुले स्थानों में वृहद् रूप से वृक्षारोपण किया जाए।

इस सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि गत वर्ष भी "आपरेशन ग्रीन" के अन्तर्गत आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों के लिए 5.18 लाख वृक्ष लगाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसके सापेक्ष 4.44 लाख वृक्ष लगाए गए थे। गत वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए भी 5.00 लाख वृक्ष लगाए जाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनकी अभिकरणवार फांट इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

आपसे अनुरोध है कि कृपया स्वयं अपने स्तर पर विशेष रुचि लेकर अपने अभिकरण के लिए निर्धारित किए गए वृक्षारोपण के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि तीन माह (जुलाई, 2002 से सितम्बर, 2002 तक) की अवधि में सुनिश्चित कराएं तथा इस कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट पूर्व में निर्धारित प्रपत्र (एम.पी. आर.-21) पर प्रत्येक माह मासिक रिपोर्ट के साथ भेजने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव

संख्या : 1741(1)/9-आ-2-पर्यावरण सुधार-वृक्षारोपण/2002 (आ.ब.-2) तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव आवास, उ.प्र. शासन के अवलोकनार्थ ।
2. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु ।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव

श्रेणी व क्रम संख्या	नाम विकास प्राधिकरण/आ. वि. परिषद	वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधार वर्ष 2001-02 लक्ष्य		उपलब्धियाँ (संख्या)	वर्ष 2002-03 के प्रस्तावित लक्ष्य (संख्या)
		वर्ष 2001-02 लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धियाँ (संख्या)		
1	2	3	4	5	
ए.एस.-1	गाजियाबाद	55000	66000		60000
ए.एस.-2	आवास विकास परिषद	165000	121242		150000
ए.एस.-3	कानपुर	35000	25019		35000
ए.एस.-4	लखनऊ	30000	27000		35000
ए-1	आगरा	50000	50000		50000
ए-2	इलाहाबाद	15000	15062		15000
ए-3	मेरठ	25000	27500		25000
ए-4	मुगदाबाद	20000	15200		25000
बी-1	अलीगढ़	10000	10500		10000
बी-2	बरेली	15000	1500		10000
बी-3	गोरखपुर	15000	15500		15000
बी-4	मथुरा-वृन्दावन	15000	9550		10000
बी-5	वाराणसी	10000	10000		10000
सी-1	बाँदा	5000	5000		5000
सी-2	बुलन्दशहर	5000	5000		5000
सी-3	फैजाबाद	10000	2000		5000
सी-4	फिरोजाबाद	5000	0		3000
सी-5	हापुड़-पिलखुवा	5000	5000		5000
सी-6	झाँसी	5000	5000		5000
सी-7	मुजफ्फरनगर	5000	0		3000
सी-8	रायबरेली	3000	3000		4000
सी-9	सहारनपुर	10000	12300		10000
सी-10	उन्नाव	5000	5047		5000
	योग	518000	444420		500000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक,
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
बन्दरिया बाग, लखनऊ।

आवास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक-02 जुलाई, 2002

विषय : आवास विभाग के तीन प्राथमिकता बिन्दु।

महोदय,

कार्यालय मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, के पत्र संख्या : जी/309/सी.एम.-८/02 दिनांक 17.06.2002 में दिए गए निर्देशों के क्रम में आवास विभाग द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए निम्न तीन कार्यक्रमों की प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं।

1. अनावंटित सम्पत्तियों का निस्तारण : विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित/विकसित 28,851 सम्पत्तियां दिनांक 01 अप्रैल, 2002 को अनावंटित थीं, इनमें से वित्तीय वर्ष 2002-03 में 14,500 सम्पत्तियों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. विकसित योजनाओं का हस्तान्तरण : विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद् की 82 विकसित योजनाओं की सेवाएं रख-रखाव हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकायों को अभी हस्तान्तरित नहीं की जा सकी हैं, इनमें से वित्तीय वर्ष 2002-03 में 41 विकसित योजनाओं की सेवाओं के हस्तान्तरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. महायोजनाओं का पुनरीक्षण : प्रदेश के 41 नगरों की महायोजनाओं का पुनरीक्षण किया जाना है, इनमें से वित्तीय वर्ष 2002-03 में न्यूनतम 10 नगरों की महायोजनाओं के पुनरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त प्राथमिकताओं की फांट इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने अभिकरण से सम्बन्धित प्राथमिकताओं के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित कराएं तथा इन प्राथमिकताओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 03 तारीख

को मण्डल स्तर पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में संलग्न प्रारूप पर अपने साथ अवश्य लाएं, ताकि संकलित रिपोर्ट मुख्य मंत्री कार्यालय को बैठक के उपरान्त तत्काल प्रेषित की जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

वर्ष 2002-03 में आवास विभाग की तीन प्राथमिकताओं के लिए निर्धारित लक्ष्य

श्रेणी व क्रम संख्या	बीअभिकरण का नाम	प्राथमिकता -1 अनावंटित सम्पत्तियों का आवंटन 1.4.2002 को अनावंटित सम्पत्तियां (संख्या)	प्राथमिकता -1 वर्ष 02-03 में आवन्त के न्यूनतम लक्ष्य (संख्या)	प्राथमिकता -2 विकसित योजनाओं की सेवाओं का हस्तान्तरण हस्तान्तरण हेतु चिन्हित योजनाएं (संख्या)	प्राथमिकता -2 वर्ष 02-03 में हस्तान्तरण हेतु न्यूनतम लक्ष्य (संख्या)	प्राथमिकता -3 41 नगरों में से न्यूनतम 10 नगर जिनकी महायोजनाएं वर्ष 2002-03 में पुनरीक्षित की जानी हैं। (मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग)
1	2	3	4	5	6	7
ए.एस.-1	गाजियाबाद	404	200	07	03	1. लखनऊ
ए.एस.-2	आ.वि. परिषद	12404	6000	42	21	2. कानपुर
ए.एस.-3	कानपुर	1259	650	04	02	3. आगरा-फतेहपुर सीकरी
ए.एस.-4	लखनऊ	4481	2500	04	02	4. मेरठ
	योग (श्रेणी-ए.एस.)	18548	9350	57	28	5. अलीगढ़
ए-1	आगरा	286	150	01	01	6. झाँसी
ए-2	इलाहाबाद	3022	1500	02	01	7. सहारनपुर
ए-3	मेरठ	2832	1400	02	01	8. मथुरा-वृन्दावन
ए-4	मुरादाबाद	582	300	05	02	9. शाहजहाँपुर
	योग (श्रेणी-ए)	6722	3350	10	05	10. बिजनौर
बी-1	अलीगढ़	236	125	0	0	
बी-2	बरेली	9	5	06	03	
बी-3	गोरखपुर	463	250	04	02	
बी-4	मथुरा-वृन्दावन	423	225	0	0	
बी-5	वाराणसी	79	40	02	01	
	योग (श्रेणी-बी)	1210	645	12	06	
सी-1	बाँदा	0	0	0	0	
सी-2	बुलन्दशहर	1657	830	0	0	
सी-3	फैजाबाद	259	130	01	01	
सी-4	फिरोजाबाद	0	-	0	0	
सी-5	हापुड़-पिलखुवा	0	-	0	0	
सी-6	झाँसी	189	95	02	01	
सी-7	मुजफ्फरनगर	79	40	0	0	
सी-8	रायबरेली	109	55	0	0	
सी-9	सहारनपुर	0	0	0	0	
सी-10	उन्नाव	78	5	0	0	
	योग (श्रेणी-सी)	2371	1155	03	02	
	महायोग	28851	14500	82	41	

आवास विभाग की तीन प्राथमिकताओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट

अभिकरण का नाम :

माह :

.....

क्र.सं.	प्राथमिकताओं का विवरण	वर्ष 2002-03 के लक्ष्य (संख्या)	गत माह तक की उपलब्धियां (संख्या)	माह की उपलब्धि (संख्या)	माह तक क्यूमूलेटिव उपलब्धि (संख्या) (4+5)
---------	-----------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--

1. अनावंटित सम्पत्तियों का निस्तारण

2. विकसित योजनाओं का हस्तान्तरण

3. महायोजनाओं का पुनरीक्षण 10

नोट : उपरोक्त मासिक रिपोर्ट सभी सम्बन्धित अधिकारी प्रत्येक माह की तीन तारीख को मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में अपने साथ अवश्य लायेंगे।

प्रेषक,

डी0एस0 बग्गा,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक-15 जुलाई, 2002

विषय : नई पत्रावलियाँ खोलने का निर्णय अधिकारी स्तर पर लिया जाना।

महोदय,

प्रशासन में ऐसी व्यवस्था किये जाने की नितान्त आवश्यकता है, जिससे शासन की कार्यदक्षता में वृद्धि हो तथा विलम्ब कम से कम हो। प्रायः यह देखने में आया है कि विभागों में छुटपुट संदर्भों को पत्रावली के रूप में परिणित कर दिया जाता है। कभी कभी मूल पत्रावली के स्थान पर नई पत्रावली विभिन्न कारणों से अस्थायी पत्रावली (टी0सी) के रूप में खोल दी जाती है तथा उनको मूल पत्रावली में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नई पत्रावली खोलते समय यह नहीं देखा जाता है कि क्या उस सम्बन्ध में पूर्व पत्रावली बनी हुई है। फलतः एक नई पत्रावली का जन्म हो जाता है। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार यह निर्णय सहायक के स्तर पर लिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में पत्रावलियों की संख्या भ्रामक हो जाती है। व्यवहारिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह व्यवस्था कदापि उचित नहीं की जा सकती।

2. इस परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक मामले में सुचारु रूप से कार्यवाही अनुभाग में खोली गयी पुरानी सम्बन्धित पत्रावलियों में ही की जानी चाहिए एवं नई पत्रावली को खोलने का निर्णय कम से कम उपसचिव/अनु सचिव स्तरीय अधिकारी के स्तर पर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पत्रावलियों की अकारण संख्या न बढ़े।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

डी0एस0 बग्गा

मुख्य सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

आवास अनुभाग-1

संख्या 3915/9-आ-1-2002

दिनांक : सितम्बर 02, 2002

कार्यालय ज्ञाप

बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर प्रॉगण में सामान्य जन की सुविधा एवं इस स्मारक के रख-रखाव की दृष्टि से प्रवेश एवं टिकट विषयक व्यवस्था निम्नवत् रूप में तत्काल प्रभाव से लागू होगी:-

1. यह स्मारक मंगलवार से शनिवार तक प्रातः 10.00 बजे से सायँ 06.00 बजे तक भ्रमणार्थियों के प्रवेश हेतु खुला रहेगा। परंतु टिकट केवल सायँ 05.00 बजे तक ही निर्गत किये जायेंगे तथा सायँ 05.00 बजे के पश्चात स्मारक परिसर में प्रवेश वर्जित होगा।
2. रविवार को यह स्मारक प्रातः 10.00 बजे से सायँ 08.00 बजे तक जनता के भ्रमण हेतु खुला रहेगा परंतु टिकट केवल सायँ 07.00 बजे तक ही निर्गत किये जायेंगे। सायँ 07.00 बजे के पश्चात स्मारक परिसर में प्रवेश वर्जित होगा।
3. प्रत्येक सोमवार को यह स्मारक रख-रखाव हेतु बंद रखा जायेगा।
4. बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस दिनांक 14 अप्रैल को स्मारक में प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा।
5. 05 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे का रू० 03.00 तथा 12 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लिये रू० 05.00 का टिकट होगा।
6. उपरोक्त समस्त सूचना का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा।

भवदीय

जे०एस०मिश्र

सचिव।

संख्या : 3915/9-आ-1-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन के अवलोकनार्थ।

2. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को अवलोकनार्थ/सूचनार्थ।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उक्त आदेश के क्रम में अनुपालनार्थ।
4. अधिशासी निदेश, आवास बन्धु, को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण हेतु।
5. गार्ड फाइल में रखे जाने हेतु।

आज्ञा से,

जे0एस0मिश्र

सचिव।

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,

कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

उद्योग अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक : 05 अक्टूबर, 2002

विषय : उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ते के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0-2293 एल/18-7-93-25 (जी-1)/93, दिनांक 27 नवम्बर, 1993 एवं शासनादेश सं0-313/18-7-95 (जी-1)/95, दिनांक 28 फरवरी, 1995 को आंशिक रूप से संशोधित/अतिक्रमित करते हुये उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं राजकीय वाहन चालकों को ग्रीष्म कालीन एवं शीतकालीन वर्दी एवं वर्दी धुलाई भत्ता नियमानुसार दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

ग्रीष्म कालीन वर्दी (पुरुष)

दो बुशर्ट तथा दो पैन्ट टेरीकाट सिली हुई, प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार।

शीतकालीन वर्दी (पुरुष)

एक ऊनी कोट सिला हुआ प्रत्येक 05 वर्ष में तथा एक ऊनी पैन्ट सिली हुई प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार।

ग्रीष्म कालीन वर्दी (महिला)

दो साड़ी टेरीकाट, 03 पेटीकोट, 03 ब्लाउज, प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार।

शीतकालीन वर्दी (महिला)

एक ऊनी जर्सी सिली हुई, प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार।

उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय धुलाई भत्ता

रू0 12.00 प्रतिमाह के स्थान पर 20.00 प्रतिमाह देय है।

राजकीय वाहन चालकों को देय धुलाई भत्ता

रू0 20.00 प्रतिमाह के स्थान पर रू0 30.00 प्रतिमाह देय है। सचिवालय से चार चतुर्थ श्रेणी के किन-किन कर्मचारियों को वर्दी अनुमन्य होगी उसका विवरण निम्नानुसार है:-

मौलिक रूप से नियुक्त एवं 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये समस्त स्थायी जमादार, अर्दली, दपतरी, पत्रवाहक, कार्यालय चपरासी, राजपत्रित से सम्बद्ध चपरासी तथा राजकीय वाहन चालक।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस श्रेणी के कार्मिकों को कम्बल एवं साफा की पूर्व अनुमन्यता को बनाये रखना उपयुक्त नहीं पाया गया। विभागाध्यक्ष एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के साथ सम्बद्ध चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को तथा जनपद/मण्डल स्तर पर कार्यात्मक आधार पर परीक्षण कर केवल चिन्हित कार्मिकों को ही साफा उपलब्ध कराया जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-6-832/2002, दिनांक 03 सितम्बर, 2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4. उक्त आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू माने जायेंगे।

भवदीय,

भूपेन्द्र सिंह

सचिव।

संख्या-1501(1)/18-5-2002-21(जी-1)/85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
5. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (६, ८, ९) उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. वित्त आयोग (अनुभाग-1/2) तीन-तीन प्रतियों में)

7. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

8. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 / वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-८

9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

राजनाथ

अनुसचिव ।

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. निदेशक,
नगर भूमि सीमारोपण,
उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

5. अधिशाषी निदेशक,
आवास बन्धु,
जनपथ मार्केट, लखनऊ।

2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

4. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

6. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक,
7, बन्दरिया बाग, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक-12 नवम्बर, 2002

विषय : आवास विभाग का नाम परिवर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिवालय प्रशासन (अधि) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्रांक यू0ओ0-366/बीस-ई-1-2002 दिनांक 23 अक्टूबर, 2002 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आवास विभाग का नाम परिवर्तित कर "आवास एवं शहरी नियोजन विभाग" रखा गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त परिवर्तित नाम से ही संबोधित पत्राचार आदि किया जाए और विभाग के समस्त अभिलेखों आदि में तदनुसार उपयोग किया जाए।

कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

जे0 एस0 मिश्र

सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-1

संख्या-यू०ओ०-366/वीस-ई-1-2002

दिनांक : सितम्बर 23, अक्टूबर, 2002

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से आवास विभाग का नाम परिवर्तित कर "आवास एवं शहरी नियोजन विभाग" किया जाता है।

डी०एस० बग्गा,

सचिव।

संख्या : यूओ० 366(1)/बीस-ई-1-2002, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
3. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०
4. उ०प्र० के समस्त मा० मंत्री/राज्यमंत्रिगण के निजी सचिव।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
6. उ०प्र० शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
7. सचिव, विधान सभा/परिषद् उ०प्र०।
8. समस्त विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ०प्र० इलाहाबाद।
11. उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. स्थानिक आयुक्त, उ०प्र० 401 अन्वादीप भवन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित इस अभ्युक्ति के साथ कि कृपया तदनुसार भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

13. संयुक्त निदेशक, प्रकाशन उ०प्र० सचिवालय को इस आशय से कि इसको एक हजार प्रतियां मुद्रित कराकर उपलब्ध कराये।

आज्ञा से,

आर० के० जायसवाल

उपसचिव।

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।

4. प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी आवास संघ लि.,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक-23 नवम्बर, 2003

विषय : विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के कार्य-कलापों से सम्बन्धित सूचनाओं का सत्यापन एवं मिलान।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद के विभिन्न कार्य-कलापों की शासन स्तर पर मासिक समीक्षा हेतु सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर मासिक प्रगति रिपोर्ट (एम.पी.आर) शासन को भेजी जाती है, जिसके आधार पर आवास बन्धु द्वारा सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करके, सचिव, आवास की अध्यक्षता में सम्पन्न होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों के लिए समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

आवास बन्धु द्वारा संकलित सूचनाओं में किसी प्रकार की विसंगति न रहने पाए। इसके लिए यह समाचीन पाया गया कि आवास बन्धु स्तर पर संकलित सूचनाओं का सत्यापन एवं मिलान सम्बन्धित सभी अभिकरणों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार (सितम्बर एवं मार्च) आवश्यक कर लिया जाए।

उपरोक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सभी अभिकरण माह सितम्बर, 2002 तक संकलित सूचनाओं का सत्यापन एवं मिलान 10 दिसम्बर, 2002 तक अवश्य कर लें। मार्च 2003 एवं अगले वित्तीय वर्षों से छमाही सत्यापन एवं मिलान का कार्य क्रमशः 10 अक्टूबर तथा 10 अप्रैल तक पूर्ण कराकर माह अक्टूबर तथा अप्रैल में प्रेषित की जाने वाली एम.पी.आर. की सूचनाएं क्रमशः माह सितम्बर तथा मार्च तक की सत्यापित सूचनाओं के आधार पर ही शासन को प्रस्तुत की जाए। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

भवदीय

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या : 5275(1)/9-आ-1-2002-समीक्षा बैठक /407(आ.ब.) तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन ।
2. समस्त विशेष सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन ।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन ।
4. आवास बन्धु के समस्त अधिकारी ।

भवदीय,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव